Audit Para - 7.4.1.2
(Stage I & II)

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, जांजगीर—चाम्पा

- S.No. - 23

तहसील रोड, जगदल्ला चांपा (छ.ग.) पिन—495671,

कार्यालयीन ई—मेल—dfo-jchampa.cg@gov.in, dfo_jchampa@rediffmail.com

क्रमांक/तक.अधि./ 3095 चांपा/दिनांक 26/05/2025

प्रति,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक एन.एच. 130ए
अभिलाषा परिसर तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः— **Diversion of 47.552 ha. Forest land for non forest purpose in favour of National Highway division proposed for the development of Economoc Corridor to improvethe efficiency of freight movement in India under Bharat Mala pariyojna Bilaspur- Urga section of NH-130A (Raipur-Dhanbad Economic Corridor which shall start at Juction with NH-130 & NH-130A under Forest (Conservation) Act. 1980 in the Bilaspur Division in the State Of Chhattisgarh.**

संदर्भ —
1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय का पत्र कमांक/FC-III/IROCH-01/2021-/858 दिनांक 02.08.2022.
2. अ.प्र.मु.व.स. (भू—प्रबंध) का प.क./1863 दिनांक 05.08.2022.
3. इस कार्यालय का प.क./तक.अधि./5153 दिनांक 22.08.2022
4. इस कार्यालय का प.क./तक.अधि./6587 दिनांक 16.11.2022.
5. प्र.मु.व.सं.(भू—प्र./वन (सं एवं सं) अ) नवा रायपुर का पृ.क./1179 दिनांक 13.05.2025.

—''—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र कमांक 01 के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा दिनांक 02.08.2022 को सशर्त अंतिम चरण स्वीकृति जारी की गई है। उक्त स्वीकृति के अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन में 02 बिन्दुओं में वरिष्ठ कार्यालय द्वारा आपत्ति उठाई गई है। अतः संशोधित पालन प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध करावें, ताकि वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा सके। सूचनार्थ प्रेषित है।

वनमण्डलाधिकारी
जांजगीर—चाम्पा वनमण्डल

26/5/25

पृ.क्रमांक/तक.अधि./ 3096 चांपा/दिनांक 26/05/2025

प्रतिलिपि —

1. प्र.मु.व.स.(भू—प्रबंध),नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सम्प्रेषित।
3. वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल को सूचनार्थ अग्रेषित। आप बिलासपुर वनमंडल से संबंधित क्षेत्र का पालन प्रतिवेदन आवेदक विभाग/संस्थान से प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजा जावे।

वनमण्डलाधिकारी
जांजगीर—चाम्पा वनमण्डल

Audit Para- 7.4.2.2 (Stage I & II) - S.No. (23)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840

ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–804/ 1178 नवा रायपुर, दिनांक 13/05/2025

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर
छत्तीसगढ़

D.F.O. Janjgir-Champa
15/5/25

विषयः – **Diversion of 47.552 ha. Forest Land for non forest purpose in favour of National Highway Division, proposed for the development of Economic Corridor to improve the efficiency of freight movement in India under Bharat Mala Pariyojna, Bilaspur – Urga Section of NH-130 A (Raipur-Dhanbad Economic Corridor which shall start at Junction with NH-130 & NH -130 A, under V(S&S) Act, 1980, in Bilaspur Division in the state of Chhattisgarh-reg.**

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/ FC-III/IROCH-01/ 2021-/ 858 दिनांक 02.08.2022

2. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ 5–30/2020/10–2 दिनांक 28.09.2023

3. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक/ 368 दिनांक 30.01.2025

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी
क्रमांक 2483
दिनांक 16/05/25
जांजगीर-चांपा वनमण्डल

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें।

संदर्भित पत्र–1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा एवं संदर्भित पत्र–2 से छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बिलासपुर एवं जांजगीर–चांपा वनमंडल अंतर्गत रकबा 47.552 हे. वन भूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, बिलासपुर को Economic Corridor to improve the efficiency of freight movement in India under Bharat Mala Pariyojna, Bilaspur – Urga Section of NH-130 A (Raipur-Dhanbad Economic Corridor which shall start at Junction with NH-130 & NH -130 A हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा 2 अंतर्गत शर्त क्रमांक 1 से 22 अधिरोपित करते हुए अंतिम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के संदर्भ पत्र–3 द्वारा अंतिम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

नोडल कार्यालय वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के परीक्षण उपरांत त्रुटियां पाया गया जो निम्नानुसार :–

1. अंतिम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्त कमांक 1 से 7, 11 एवं 22 का सशर्त पालन नहीं किया गया है। साथ ही आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न नहीं है।

2. कैम्पा मद में जमा होने वाली राशि अंतिम बार वर्ष 2022–23 के प्रचलित दर अनुसार राशि रूपये 7605927/– जमा कराया गया है। जबकि आवेदक संस्थान द्वारा अंतिम चरण का पालन प्रतिवेदन दिनांक 24.06.2024 को वनमंडल कार्यालय में जमा किया गया है। इस बाबत् अंतर की राशि 2024–25 के दर से 111359384/– रूपये होता है, किन्तु आवेदक संस्थान द्वारा अब तक राशि रूपये 83664916/– जमा कराया गया है। वर्तमान में अंतर की राशि आवेदक संस्थान से 27694468.4/– रूपये लिया जाना होगा।

122 - Letter Vividh 2025.doc

अतः वर्तमान में प्रचलित दर अनुसार अंतर की राशि का गणना अनुसार आवेदक संस्थान को मांग पत्र जारी कर राशि जमा करावे पुष्टि हेतु रसीद की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें। साथ ही समस्त शर्तो की पूर्ति सशर्त पालन प्रतिवेदन तत्काल इस कार्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

अपूर्ण पालन प्रतिवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्र./वन (सं. एवं सं.) अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–804/1179 नवा रायपुर, दिनांक 13/05/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. वन मंडलाधिकारी, बिलासपुर / जांजगीर–चांपा वन मंडल।
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक, एन. एच – 130ए, अभिलाषा परिसर, तिफरा, बिलासपुर।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्र./वन (सं. एवं सं.) अ)
छत्तीसगढ़